दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	व पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त हम पाते है कि प्रा. पत्र के मद स. (2) में वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि है। ~~जिसमें~~ एवं प्रार्थी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है। अतः प्रथम द्रष्टया मामला एवं सुविधा व संतुलन ~~भी~~ प्रार्थी के पक्ष में दिखाई देता है। यदि अप्रार्थी प्रार्थी को जबरन बेदखल करेगा तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्षों को ताफैसलादावा ~~के~~ प्रार्थी की भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर दाखिल हो [illegible]